प्रकाशन का 43 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार
ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/ shailshamachar
वर्ष 43 अंक–25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 25जून–2जुलाई 2018 मूल्य पांच रूपए

प्रशासनिक तबादलों ने फिर–उठाये सरकार की नीयत और नीति पर सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार पर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है कि सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में ही उलझकर रह गयी है। यह आरोप कितना सही है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी से लेकर जून तक लगभग हर माह प्रशासनिक अधिकारियों तक के तबादले होते रहे हैं। बल्कि यहां तक होता रहा है कि आज आदेश जारी हुए तो कल ही कुछेक को फोन पर निर्देश दे दिये गये कि आपने अभी कार्यभार ग्रहण नही करना है। कई पदों पर तो यहां तक रहा है कि तीन–तीन, चार– चार बार अधिकारी बदले गये हैं। विपक्ष के आरोप का जवाब भी सरकार की ओर से यही आया है कि कांग्रेस के समय में भी यही होता था। कुल मिलाकर छः महीने के कार्यकाल के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों में स्थिरता का भाव नहीं आ पाया है और यही सरकार का सबसे नकारात्मक पक्ष चल रहा है।

प्रशासन में व्याप्त इसी अस्थिरता का परिणाम है कि सरकार अभी तक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में खाली चले आ रहे सदस्यों के पदों को अब तक नहीं भर पायी है। क्योंकि इन पदों के लिये संभावित उम्मीदवारों के रूप में पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव दोनो का नाम माना जा रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव की सेवानिवृति सितम्बर माह मे है इसलिये चर्चा है कि ट्रिब्यूनल के पद सितम्बर के बाद ही भरे जायेंगे भले ही कर्मचारी न्याय के लिये बाट जोहते रहें। विश्वविद्यालय में अभी तक वाईसचान्सलर का चयन नही हो पा रहा है। लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग खाली चल रहे हैं जबकि इन पदों पर तो अब तक नियुक्तियां हो जानी चाहिये थी। इससे सुशासन को लेकर सरकार की छवि पर प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये हैं।

प्रशासन पर मुख्यमन्त्री की पकड़ कितनी बन पायी है और प्रशासन की आन्तरिक समझ सरकार को कितनी आ पायी है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब सरकार ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव को सेवानिवृति से एक सप्ताह पूर्व तक की स्टडी लीव सारे नियमों/कानूनों को ताक पर रखकर दे दी। यह फैसला अपराध की श्रेणी में आता है पूरे प्रशासन में कर्मचारियों तक यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह अब आरसीएस के पद पर की गयी नियुक्ति को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं क्योंकि एचपीसीए कंपनी है या सोसायटी यह मामला अभी तक आरसीएस के पास फैसले के लिये लंबित चल रहा है। अब जिस अधिकारी को आरसीएस की जिम्मेदारी दी गयी है वह स्वयं एचपीसीए में नामजद है। एचपीसीए का मामला एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है। क्योंकि वीरभद्र के पांच साल के सारे कार्यकाल

में विजिलैन्स के पास एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय तक भी पंहुचा हुआ है। सरकार इसमें एचपीसीए की मदद करना चाहती है जबकि कांग्रेस इस पर बराबर शोर करेगी। ऐसे में जब सरकार आरसीएस के पद पर ऐसी नियुक्ति करेगी तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि आप जानबझूकर कांग्रेस को एक मुद्दा दे रहे हैं। अप्रत्यक्षत: इससे यह भी संकेत जायेगा कि शायद एचपीसीए को लेकर सरकार की नीयत ही साफ नही है।

प्रदेश के सहकारी बैंकों में 900 करोड़ से अधिक का एनपीए हो चुका है। यह जानकरी जयराम सरकार के पहले बजट सत्र में एक प्रश्न के माध्यम से सामने आयी है। प्रश्न के उत्तर में एनपीए के यह आंकड़े दिये गये हैं। जिसका अर्थ है कि सरकार और बैंक प्रबन्धनों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही यह जानकारी सदन को दी है। इस एनपीए पर अब कारवाई आगे बढ़ाने की बजाये सहकारी बैंको के प्रबन्ध निर्देशकों की नियुक्ति को ही सरकार स्थायी रूप से नही दे पा रही है। उधर प्रबन्धन को ही कुछ लोगों ने एनपीए को लेकर यह वकालत करनी भी शुरू कर दी है कि सबकुछ ठीक है और कोई घपला नही हुआ है। चर्चा है कि बैंको के पूर्व प्रबन्धन ने एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जयराम सरकार के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एनपीए की जांच को शुरू होने से पहले ही दबाने का पूरा प्रबन्ध कर दिया है। ऐसी ही स्थिति कई अन्य मामलों में भी है जिनका जिक्र बाद में उठाया जायेगा।

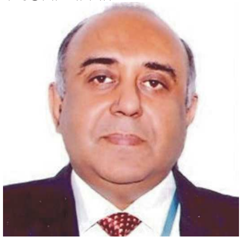

इस तरह प्रशासन में जो कुछ हो रहा है उसका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सारा प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व पर ही पड़ेगा। नेतृत्व को ही जनता में जवाब देना पड़ता है यह स्थिति मुख्य सचिव को लेकर उठे मामले में आ चुकी है। केन्द्र सरकार में किन कारणों से वह सचिव के पैनल में नही आ पाये हैं उसको लेकर राज्य सरकार की अपनी भूमिका बहुत सीमित है लेकिन जो कुछ केन्द्र में घटा है उसका यह आरोप तो लग ही गया है कि इससे अधिकारी की निष्ठा तो संदिग्धता के दायरे में आ जाती है। इस आरोप पर मुख्यमन्त्री को विवशता में बचाव में उतरना पड़ा है। आने वाले समय में ऐसे कई और मामले खड़े होंगे जहां इस तरह के बचाव में उतरना पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रशासन में जो स्थिरता अभी तक नही बन पा रही है वह महज़ संयोगवश है या उसके पीछे एक सुनिश्चित रणनीति काम कर रही है। क्योंकि यह अपने में ही हास्यस्पद हो जाता है कि पहले तो तबादले के आदेश जारी हो जायें और उसके तुरन्त बाद उनकी अनुपालना फोन करके रोक दी जाये। इससे यह सवाल उठता है कि क्या मुख्यमन्त्री ने आदेश करने से पूर्व इस पर पूरा विचार नहीं किया या फिर बाद में प्रशासन ने अपने ही स्तर पर फेरबदल कर लिये। वास्तविकता कुछ भी रही हो लेकिन आम आदमी पर इसको लेकर सरकार का प्रभाव अच्छा नही पड़ रहा है।

खली के शो पर संघ का कड़ा संज्ञान सलाहकार को करवाया अवगत

शिमला/शैल। जब भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक संरक्षक होने का दावा करने वाली सरकार ही ग्रेट खली के उस आयोजन की आयेाजक होने का प्रयास करे जिसे स्वयं सिने जगत की आईटम गर्ल राखी सावंत के अश्लील डांस के सहारे प्रमोट करने की जरूरत पड़े तो ऐसे आयोजन पर संघ का संज्ञान लेना आवश्यक हो जाता है। इस आयोजन को लेकर सोशल मीडिया में भी कुछ समय से प्रश्नात्मक प्रतिक्रियाएं उभर रही थी। छोटी काशी के नाम से पहचाने जाने वाले नगर मण्डी में हो रहे इस आयोजन को भारतीय संस्कृति के मानकों के विपरीत करार देते हुए इसे अश्लीलता और भद्देपन की संज्ञा दी गयी है। संघ ने महिलाओं के पहरावे में भी आते जा रहे नंगेपन को कभी स्वीकृति नही दी है। इस बारे में संघ भाजपा के कई नेताओं के ब्यानों पर विवाद भी उभरे हैं। भारतीय संस्कृति के मानकों पर जब वैलेनटाइन डे तक का विरोध किया जाता है और लैला मजनू चलन को रोकने के लिये विशेष दस्ते बनाए गये हैं तो वहां पर इन्ही का एक वर्ग अश्लील डांस की स्वीकृति दे तो ऐसे विरोधाभास पर संघ नेतृत्व द्वारा संज्ञान लिया जाना स्वभाविक है। इस अश्लील डांस पर सोशल मीडिया में उभरी प्रतिक्रियाओं को संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहार त्रिलोक जम्वाल से एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी चिन्ता जता दी है।

खली द्वारा आयोजित किया जा रहा रेसलिंग शो खेलों की अधिकारिक सूची में नही आता है। प्रदेश के खेल विभाग के नियमों के मुताबिक प्रशासन इसके आयोजन के लिये सरकारी धन उपलब्ध नही करवा सकता है। यह तथ्य मुख्यमन्त्री और खेल मन्त्री के संज्ञान में रिकॉर्ड पर ला दिया गया था। इसके बावजूद इसमें कोई रास्ता निकालने के प्रयास के लिये प्रशासन पर काफी दबाव रहा है। खली स्वयं कुछ अधिकारियों से मिला। पूरा मामला मन्त्रीमण्डल की बैठक में भी लाया गया लेकिन कोई अन्तिम फैसला नही हो पाया। इस आयोजन के लिये चार करोड़ से अधिक की आवश्यकता थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमन्त्री और खेल मन्त्री इस आयोजन के लिये खली को अपनी वचनबद्धता दे चुके थे। मुख्यमन्त्री की वचनबद्धता भंग न हो पाये इसके लिये आयोजन का आवश्यक धन जुटाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और प्रधान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संभाली थी। जिन विभागों का जनता से सीधा वास्ता पड़ता है उनके अधिकारियों से बैठके की गयी और बड़े अधिकारियों ने इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास भी किये हैं। लेकिन इन प्रयासों से कितना धन इकट्ठा हो पाया है यह अभी तक सामने नही आ पाया है। वैसे तो इस आयोजन के लिये अति उत्साह दिखा रहे आयोजकों का दावा था कि इस आयोजन के लिये बिकने वाले टिकटों से ही इतना पैसा इकट्ठा हो जायेगा कि आयोजन का खर्चा निकालने के बाद शेष बचे धन को मुख्यमन्त्री राहत कोष मे दिया जायेगा लेकिन जिस तरह से आयोजन के टिकट बिक पाये हैं उससे पूरा खर्चा निकाल पाना भी संभव नही माना जा रहा है। ऐसे में सरकारी तन्त्र अप्रत्यक्षत: कितना सहयोग दे पाता है इस पर आयोजन की सफलता निर्भर करेगी जबकि अब खली ने ये भी कह दिया है कि वह इस खेल में न स्वयं भाग लेंगे और न ही विदेशी महिला खिलाड़ी।

दूसरी ओर संघ ने अपने एतराज से मुख्यमन्त्री को उनके सलाहकार के माध्यम से अवगत करवा दिया है। मुख्यमन्त्री इस आयोजन में दोनो जगह मण्डी और सोलन मे मुख्य अतिथि होने का वायदा कर चुके हैं ऐसे में जब स्टेज से राखी सावंत आदि का डांस दर्शकों को परोसा जायेगा तो उस पर बाद में संघ की क्या प्रतिक्रिया रहती है उस पर अभी से लोगो की निगाहें लग गयी है। संघ के संज्ञान के बाद जयराम के कितने मन्त्री और अधिकारी तथा केन्द्रिय मन्त्री इस आयोजन के दर्शक बन पाते हैं इस पर भी सबका ध्यान रहेगा।

रेडक्रॉस गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण:डॉ.साधना

शिमला/शैल। रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की बैठक शाखा की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि वह सक्रिय तौर पर रेडक्रॉस से जुड़ी हैं तथा आशा व्यक्त की कि उन्हें सभी का सहयोग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि उन्हें समाज सेवा और विशेष तौर पर चिकित्सा सेवा में लम्बे समय तक कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन विशेष तौर से रेडक्रॉस से जुड़कर पीड़ित मानवता का यह अवसर उनके लिए जीवन का एक नया अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस पूरे विश्व में पीड़ित मानवता के लिए कार्य कर रहा है तथा पिछले 150 से अधिक वर्षों से इस संस्था ने मानवता के उच्च मूल्यों को कायम रखते हुए असंख्य दीन-दु:खियों की सेवा की है।

डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि रेडक्रास का चिन्ह मानव कल्याण की प्रेरणा देता है तथा यह गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हम इस संस्था से प्रेरणा लेते हुए जरूरतमंदों की सेवा करते हुए मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महान मानवता प्रेमी हेनरी डयुनांट के कार्य को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मानव सेवा के लिए लोगों के दिलों में संवेदना पैदा करने की आवश्यकता है जिसके लिए रेडक्रॉस को अपनी गतिविधियों को और विस्तार देने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी रेडक्रॉस अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से अग्रणी कार्य कर रहा है। वह चाहे गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क दवाईयां या उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना हो या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करना हो, रेडक्रॉस हमेशा कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों को मददगार साबित हुआ है।

उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की गतिविधियों को सशक्त करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए इसके लिए रेडक्रॉस शाखाओं को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सदस्यों पर है, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सकता है और रेडक्रॉस कोष में अंशदान को बढ़ाया जाना चाहिए है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी लोग इसी समर्पण से भविष्य में भी मानवीय सेवा के उच्च मूल्य को कायम रखकर नि:सहाय लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उनकी कोशिश इस मिशन को आगे बढ़ाने की रहेगी तथा हर स्तर पर इसके लिए संसाधनों का सृजन किया जाएगा।

इस अवसर पर रेडक्रॉस के महासचिव डॉ. अरूण शर्मा के अतिरिक्त सोसायटी के अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण भी उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE

The Executive Engineer Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids in electronic tendering system for the following work:-

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of tender	Time/Eligible class of contractor
1. C/o link road from Samlohal to Charol vai Pickle Factory Km 0/0 to 2/500 (SH:- P/L Soling wearing & Tarring Km 0/500 to 0/544,0/578 to 0/605, 0/688 to 0/820.)	7,07,047/-	14200/-	350/-	Three month Class D
2. C/o 21.75 mtr span RCC T-Beam bridge over Chibber Khad on Bhager Fatoh road at TD 0/825 (SH:- C/o FAtoh side U/S & D/S approaches at RD 0/836 to 0/845.)	5,91,944/-	12000/-	350/-	Six month Class D

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 10.07.2018 (dd/mm/yyyy)
3. Cost of Bid Form: Rs 350/- per (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin.
4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website **http://hptenders.gov.in** bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **http://hptenders.gov.in** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
*Non-registered bidders may submit bids, however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract. The contractor must have done the work of similar nature .
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security in approved form and (c) form no 7/8 duly signed by contractor with bid document as per provisions of general rules No 27 with Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin on a date not later than seven working days after the opening of technical qualification part of the Bid, either by registered post or by hand, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: 10-08-2018 (dd/mm/yyyy) upto 10.00 A.M. (time)
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website http://hptenders.gov.in. The bids shall be opened on 10-08-2018 at 11-00 A.M. hrs in the office Executive Engineer, Ghumarwin Division, HPPWD. Ghumarwin by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-1234/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

अक्षम बच्चों के स्कूल भवन निर्माण के लिए एसजेवीएनएल ने दिये साढे आठ करोड़

शिमला/शैल। हेलन कैलर के जन्म दिवस पर विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए ढली स्थित विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने सम्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे हेलन कैलर को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है जो न केवल मूक एवं बधीरों बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। शारीरिक अक्षमता के बावजूद उन्होंने समाज में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया जिसे पूरा विश्व मानता है।

उन्होंने कहा कि हम सभी को जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समाज का उत्तरदायित्व है कि अक्षम लोगों की सेवा एवं सहायता के लिए आगे आएं ताकि वे भी समाज निर्माण में अपना भरपूर योगदान दे सकें। प्रदेश सरकार समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं व अन्य सामाजिक संगठनों का आह्वान किया कि वे इस दिशा में सरकार के प्रयत्नों में सहयोग दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली स्कूल के नए भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा, जिसके लिए वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर स्कूली बच्चों की सराहना की। बाल कल्याण परिषद की सचिव पायल वैद्य ने कहा कि परिषद की स्थापना 1971 में की गई थी और 172अक्षम बच्चों को यहां शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए एसजेवीएनएल ने परिषद को साढे आठ करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में नार्वे व सीरिया का सहयोग लेगा हिमाचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मजबूती और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में नार्वे और सीरिया मिशन के प्रमुखों को अवगत करवाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन देशों के साथ तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान और राज्य के विशिष्ट हितों को बढ़ावा देना था।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो सीधे तौर पर कृषि और बागवानी से जुड़ी है। राज्य की कृषि पारिस्थितिकी और जैव विविधता वृहद है और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण व प्राकृतिक खेती के कारण गुणवत्तापूर्ण गैर मौसमी कृषि उत्पादन के लिए बेहतर परिस्थितियां हैं। नकदी फसलों के क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ संरक्षित खेती के साथ मूल्य वृद्धि और फसल कटाई के पश्चात् प्रबन्धन की भी आपार सम्भावना है।

विनीत चौधरी ने कहा कि प्रदेश में व्यवसायिक कृषि और इसके उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए इन दोनों देशों के विशेषज्ञों से तकनीकी जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और अब यह कट फ्लावर राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य को एकीकृत फसल कटाई प्रबन्धन, रोपण सामग्री, तकनीकी सहयोग और अधिकारियों तथा किसानों की क्षमता वृद्धि में सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की आपार सम्भावनाएं हैं और प्रदेश सरकार राज्य में बुनियादी पर्यटन ढांचे, रज्जू मार्ग, साहसिक पर्यटन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास और आदर्श पर्यटन गांवों आदि की स्थापना के लिए सहयोग चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग दो करोड़ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष आते हैं और अनुमान है कि लगभग आठ से दस लाख पर्यटक केवल पर्यावरण पर्यटन के लिए प्रदेश भ्रमण पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 66.56 लाख पर्यटकों की इको-टूरिज़्म क्षमता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 31 इको-सर्किट के विकास और 1000 करोड़ प्रति हब की लागत से पांच इको-पर्यटन के विकास के लिए निवेश में सहयोग चाहता है। इसके अतिरिक्त पारस्परिक लाभों के लिए टूअर ऑपरेटर, संयुक्त आयोजन प्रबन्धन और अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए सामंजस्य स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयुक्त है और औषधीय पौधों के लिए भी यहां की जलवायु अनुकुल है। आयुर्वेदिक क्षेत्र के अंतर्गत आयुष, पंचकर्मा, रिज़ूविनैट थेरेपी और योग का ज्ञान सांझा करने के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में ट्राउट मछली उत्पादन देश में सर्वाधिक है जो 12765 मीट्रिक टन है। इसका मूल्य 158 करोड़ रुपये है। हिमाचल नार्वे के साथ पहले से ही मछली उत्पादन क्षेत्र में कार्य कर रहा है और कुल्लू जिला के पतलीकूहल ट्राउट फार्म में 'इंडो-नार्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट' कार्यशील है। इस तरह की परियोजनाएं नार्वे के सहयोग से प्रदेश के अन्य भागों में भी स्थापित की जा सकती हैं।

नार्वे में भारत के राजदूत कृष्ण कुमार ने कहा कि नार्वे ऊर्जा नवीकरणीय, पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्की- रिजॉर्ट्स, नागरिक उयड्डन, सुरंग निर्माण और रज्जू मार्ग के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि नार्वे के विशेषज्ञों की सहायता से इन क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है।

सीरिया में भारत के राजदूत मनमोहन भनोट ने कहा कि सीरिया की खाद्य प्रसंस्करण, कृषि शोध जैसे मशरूम, आयुर्वेदिक उत्पाद और अर्द्ध कौशल कामगार क्षेत्रों में मजबूत क्षमता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल इन क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठा सकता है।

दोनों राजदूतों ने बाद में जुन्गा और चायल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सब्जी उत्पादन, जलापूर्ति योजनाओं और इको-टूरिज्म इकाईयों को देखा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजदूतों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDERS"

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax **Act. 1968. The important date of tender are as under:-**

Date of application **26-07-2018 upto 2.00 PM**
Date of sale of tender form **26-07-2018 at 5.00 PM**
Date of receipt of financial bid **27-07-2018 at 10.30 AM**
Date of opening of financial bid **27-07-2018 at 11.00 AM**

The tender shall be received up to 10.30 A.M. on 27-07-2018 and will be opened on the same day at 11.00 A.M in the presence of intending contractors or their authorised representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 26-07-2018.

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Deposit at call/ Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office/Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No.II, HP-PWD, Bilaspur must accompany with each application.Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time limit
1. C/o Link road Bherara Dabat via Dollan Km. 0/0 to 5/0 (SH:- Providing and laying Soiling in Km. 4/100 to 4/500)	Rs. 154784/-	Rs.3200/-	Rs.350	Three month

TERMS & CONDITIONS:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of GST and TIN Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.-1277/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

जलाशयों को पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा विकसित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जलाशयों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए वृहद योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन और जल खेलों की कार्य योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न भागों में ऊर्जा परियोजना के निर्माण के कारण अनेक जलाशय निर्मित हुए हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने और जल क्रीड़ा के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन, विद्युत और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति कार्य योजना तैयार करेगी और सरकार को एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि चमेरा जलाशय में नौकायन और शिकारा व अन्य पानी के खेल आरम्भ करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियां से स्थानीय लोगों को रोज़गार व स्वरोज़गार सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पोंग बांध न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है बल्कि इसे जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए एक पसन्दीदा गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला के पंडोह बांध में नौकायन प्रारम्भ करने और अन्य जल खेलों की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसके अतिरिक्त सुन्दरनगर झील में नौकायन और संबंधित गतिविधियों को आरम्भ करने का भी पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लारजी और भाखड़ा बांध जैसे अन्य जलाशयों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोल बांध में भी जल क्रीड़ाओं की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपयुक्त अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जल क्रीड़ा गतिविधियों को शीघ्र आरम्भ किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभारा जाएगा हिमाचल

शिमला/शैल। पर्यटन, जैविक कृषि, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबन्धन के क्षेत्रों में सिक्किम सरकार द्वारा की गई पहल का अध्ययन करने 11 से 15 जून, 2018 तक सिक्किम गए विधायकों व अधिकारियों के दल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मिलकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी।

दल के सदस्यों ने पावर प्वाईंट प्रस्तुति के माध्यम से पर्यटन, जैविक कृषि और स्वच्छता की दिशा में सिक्किम सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को सिक्किम की पर्यटन आर्थिकी के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसे 'जैविक राज्य' घोषित किया गया है। सिक्किम सरकार ग्रामीण, पर्यावरण मित्र और धार्मिक पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास की दिशा में सिक्किम से सीख ले सकता है और लोगों की सहभागिता के साथ पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम दिए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक, साहसिक और इको-पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लगभग दो करोड़ पर्यटक हिमाचल भ्रमण पर आते हैं और सरकार का प्रयास रहेगा कि उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोलने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टैक्सी चालकों और संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि वे राज्य के पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य कर सकें। राज्य में विभिन्न पर्यटक सर्किटों को भी विकसित किया जाएगा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यटक स्थलों के लिए हेली-टैक्सी सेवाएं शुरू करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर को प्रमुखता के साथ पर्यटक गंतव्य के रूप में उभारने के प्रयास किए जाएंगे। पर्यटकों को बर्फ से ढके स्थलों जैसे चांसल, साच पास, जलोड़ी पास, श्रीखंड और धौलाधार को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि यहां पर्यटकों की आमद बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क सम्पर्क में सुधार के साथ-साथ सरकार निजी क्षेत्र की सहायता से रज्जू मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देगी।

जमीन बेचने/खरीदने के लिये ई-भूमि पोर्टल शुरू

शिमला/शैल। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ई-भूमि ऑनलाइन प्रणाली को आरम्भ किया है। इस पोर्टल पर प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत भूमि/सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध होंगी।

उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जो अपनी भूमि/सम्पत्ति बेचने का इच्छुक हो वह अपनी भूमि/सम्पत्ति को इस पर सूचीबद्ध कर सकता है। भूमि की बिक्री के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि को सहज रूप से सूचीबद्ध करना ई-भूमि ऑनलाइन प्रणाली की मुख्य विशेषता है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रणाली प्रदेश भर में इच्छुक भूमि विक्रेताओं के लिए भूमि उपलब्धता की जानकारी प्रदान करती है। कलेक्टर दर पर सूची उपलब्ध होने से खरीददारों को परियोजनाओं के लिए धन का प्रबन्धन करने में आसानी होती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा भूमि बेचने/खरीदने के लिए कोई भी कमीशन नहीं ली जाती है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप सम्पत्ति लेन-देने में एग्रीगेटर और कमीशन एजेंटों की आवश्यकता समाप्त हुई है।

यह प्रणाली किसी आवेदक/भूमि मालिक को अपने मोबाईल नम्बर के माध्यम से कहीं भी पंजीकरण और लॉग-इन करने की सुविधा देती है। विक्रेता भूमि के पूर्ण विवरण को 'भूमि विवरण फार्म' में भरता है और भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करता है। भूमि विवरण तब रूचि रखने वाले खरीददारों के लिए आवश्यकतानुसार भूमि खरीदने के लिए सार्वजनिक डोमेन/ होम पेज पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में खरीददार प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा, जहां पर कोई भी सरकारी इकाई/उद्यमी इस पोर्टल पर अपनी जरूरतों अनुसार भूमि के लिए आवेदन कर सकता है तथा इच्छुक विक्रेता अपनी जरूरत के हिसाब से जबाव दे सकते हैं।

औद्योगिक विकास योजना 2017 नए निवेश को करेगी आकर्षित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की गई है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में लगी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में महत्वपूर्ण पूंजी व्यय और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।

उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना एक अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी, जिन इकाइयों ने एक अप्रैल, 2017 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन शुरू कर दिया है, वे इसके तहत भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में 30 सितम्बर, 2018 तक पंजीकरण कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि यह योजना 10 मैगावाट तक जल विद्युत उत्पादन इकाइयों और जैव प्रौद्योगिकी पर भी लागू होगी। डीआईपीपी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए वैब लिंक ncog.gov.in/ds/login. है।

इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में केन्द्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति के लिए निवेश प्रोत्साहन (सीसीआइआइएसी) 30 प्रतिशत की दर पर तथा निवेश संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपये की दर तक उच्च सीमा के साथ शामिल है। सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां तथा मौजूदा इकाइयां जिसके अन्तर्गत सभी भारतीय अग्नि नीति 'सी' शुल्क के अनुसार योग्य इकाइयों को शामिल किया गया है। ऐसी सभी इकाईयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह घोषणा निश्चित रूप से राज्य में नए निवेश को आकर्षित करेगी तथा मौजूदा उद्योगों को बनाए रखने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

किसानों को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली

शिमला/शैल। बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में और अधिक निवेश आमंत्रित करने के लिए उद्योग मित्र माहौल तैयार कर रही है और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उद्यमियों की यह बहुत बड़ी मांग थी कि उन्हें विद्युत ड्यूटी में कुछ छूट दी जाए और प्रदेश सरकार ने इस मांग पर गौर करते हुए अपने बजट आश्वासन के अनुरूप इसमें कटौती का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा छोटे उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के मामलों में दस प्रतिशत से सात प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बजट आश्वासन के अनुरूप ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दर प्रति यूनिट एक रुपये से घटाकर 75 पैसे करने का निर्णय लिया गया है।

अनिल शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थाओं (जो सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों) तथा सामाजिक क्षेत्रों में इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल लागत का 10 प्रतिशत या 4000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, जो भी कम हो प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष, 2022 तक छत पर स्थापित ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों से 40 हजार मैगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लोगों को इन संयंत्रों को स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाए हैं। विशेष तौर पर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और राज्य उपदान की राशि सीधे तौर पर संबंधित उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

एचपीटीडीसी ने रखा 125 करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पसन्दीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कम लोकप्रिय क्षेत्रों में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे है, जिससे न केवल अनछुए क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि भारी भीड़-भाड़ वाले पर्यटन गंतव्यों पर से भी भार कम होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि एचपीटीडीसी के होटलों में कमरों के नाम प्रदेश के एतिहासिक स्थानों, स्मारकों, मन्दिरों, पक्षियों व जन्तुओं के नाम पर रखे जाने चाहिए जो पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति व इतिहास की झलक प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि एचपीटीडीसी के होटलों के कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि आगंतुकों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में विभिन्न श्रेणियों के 103 पद भरे जाएंगे ताकि निगम के होटलों का सही प्रकार से संचालन व प्रबन्धन किया जा सके। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ बावर्चियो को भर्ती करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम चार नई वॉल्वों बसों को खरीद कर पुरानी वॉल्वों बसों से बदलेगा। इसके अतिरिक्त शिमला से चण्डीगढ़ के हेली-टैक्सी सेवाओं का उपयोग करने वाले पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक टैम्पो ट्रैवलर भी खरीदा जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि निगम ने गत वित्त वर्ष में 100.84 करोड़ रुपये का व्यापार किया तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 125 करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। ......चाणक्य

सम्पादकीय

कर्ज मुक्ति के लिये नीयत और नीति चाहिये

मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने एक साक्षात्कार में यह कहा है कि प्रदेश को कर्ज से मुक्ति मिलना संभव नही है। जयराम की सरकार को बने हुए अभी छः माह का समय हुआ है। इन छः महिनों में सरकार ने जनवरी से 31 मार्च तक ही एक हज़ार करोड़ से अधिक का ऋण लिया है। 29 मार्च को जायका के साथ 700 करोड़ का ऋण अनुबन्ध साईन किया है। इसके बाद मई में राज्य विद्युत बोर्ड की ऋण सीमा मे दो हज़ार करोड़ की वृद्धि की है। जून में एशियन विकास बैंक से 437 करोड़ का ऋण भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत करवाया है। ऋण के इन आंकड़ों का जिक्र इसलिये किया जा रहा है ताकि यह समझ आ सके कि सरकार का पूरा ध्यान इस दौरान ऋण जुटाने की ओर ही ज्यादा केन्द्रित रहा है। सरकार अपनी आय के साधन कैसे बढ़ाये और अपने अनुपयोगी खर्चों में कैसे कमी करे इस ओर शायद ज्यादा ध्यान नही दिया गया है। इसमें सबसे चिन्ताजनक यह है कि युवा मुख्यमन्त्री ने बिना कोई प्रयास किये ही यह मान लिया है कि कर्ज से मुक्ति मिल ही नही सकती है।

मुख्यमन्त्री ने अपने साक्षात्कार में कर्ज का आंकड़ा 46000 करोड़ का दिया है। राज्य के वित्त की वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार के खर्चे कितने उत्पादक और अनुत्पादिक है। राज्य के कर्ज की स्थिति क्या इसका पूरा आकलन करने के लिये नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की संवैधानिक जिम्मेदारी है और कैग की रिपोर्ट वाकायदा सदन के पटल पर रखी जाती है। इसलिये कैग की रिपोर्ट को प्रमाणिक माना जाता है। इस बार के बजट सत्र वर्ष 2016–2017 के लेखे सदन में रखे गये हैं। इन लेखों के मुताबिक 31 मार्च 2016 को प्रदेश सरकार का कुल कर्जभार 47,244 करोड़ है। इसमें वित्तिय वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 का कर्ज जब जुड़ेगा तब यह कर्जभार 60,000 करोड़ से अधिक हो जायेगा यह तय है। सरकार जब भी कर्ज लेती है तब कर्ज का उद्देश्य विकास कार्यो मे निवेश दिखवाया जाता है लेकिन कैग की रिपोर्ट के मुताबिक यह कर्ज विकास की बजाये कर्ज की किश्त देने और दूसरे खर्चो के लिये उठाये जा रहे हैं। 2012–13 से 2016–17 तक हर वर्ष, कर्ज की किश्त और अन्य खर्चों के लिये ऋण उठाया जा रहा है। 2012–13 में 2359, 2013–14 में 2367, 2014–15 में 2345, 2015–16 में 2450 और 2016–17 में 3400 करोड़ का ऋण इन खर्चों के लिये उठाया गया है जबकि एफआरबीएम 2005 की सीधी अवहेलना है। इसमें एक चिन्ताजनक गंभीरता यह है कि कर्ज तय समय पर लौटाया नही जा रहा है। 31 मार्च 2016 को Outstading ऋण का आंकड़ा 32570 करोड़ हो गया है। हर वर्ष यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है यह स्थिति यदि ऐसे ही चलती रही तो यह तय है कि अगले पांच–सात वर्षो में कर्ज उठाने लायक भी स्थिति नही रहेगी।

इसलिये सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि कर्ज के सिर पर विकास कब तक किया जाये। इस समय जितना कर्ज प्रदेश पर खड़ा है वह आखिर निवेश कहां हुआ है?क्योंकि आज भी प्रदेश में दस हज़ार अध्यापकों की कमी है, अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों का आंकड़ा आठ लाख से ऊपर पहुंच चुका है। लोगों को पीने का पानी नही है यह अभी सामने आया है। पानी की गुणवत्ता कितनी और कैसी है यह पीलिया से हुई मौतों मे सामने आ चुका है। हां प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का आंकड़ा 1,67000 का 2002 में उस समय सामने आया था तब अवैध कब्जों को नियमित करने की योजना बनाई गयी थी। इसी तरह का विकास अवैध निर्माणों में हुआ है क्योंकि सरकारें बार–बार रिटैन्शन पॉलिसियां लाती रही। इस समय प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में बारह हज़ार करोड़ से कुछ अधिक का कुल निवेश है। इसमें अकेले ऊर्जा के क्षेत्र में ही ग्यारह हजार करोड़ से अधिक का निवेश है लेकिन प्रदेश की चारो ऊर्जा कंपनीयों की स्थिति लगातार घाटे की है। एक भी परियोजना कभी समय पर पूरी नही हुई है। कैग की हर रिपोर्ट में इस ओर ध्यान खिंचता आ रहा है। अभी कशांग परियोजना पर कैग ने साफ कहा है कि आज ही इसकी स्थिति यह हो गयी है कि प्रति यूनिट उत्पादक लागत 4.50 रूपये पहुंच चुकी है जबकि बिजली 2.50 रूपये यूनिट बिक रही है। बिजली बोर्ड की अपनी रिपोर्टो के मुताबिक बोर्ड की सभी परियोजनाओं में हर वर्ष हज़ारों घन्टो का शट डाऊन हो रहा है और इसके कारण प्रतिदिन करोड़ो के राजस्व का नुकसान हो रहा है जबकि निजिक्षेत्र की परियोजनाओं में छः आठ घन्टे से अधिक का साल में शट डाऊन नही है। इस प्रतिदिन हो रहे करोड़ों के राजस्व के नुकसान की ओर संवद्ध प्रशासन से लेकर विजिलैन्स तक का ध्यान नही गया है जबकि इस संद्धर्भ में उसके पास वाकायदा शिकायत रिकॉर्ड पर है। पिछले पांच वर्षो में बिजली की किसी भी बड़ी परियोजना के लिये कोई निवेशक नही आया है। इस तरह की स्थिति प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों की है। प्रदेश का प्रशासन कितनी सक्षमता और गंभीरता से काम करता रहा है इसका साक्षात प्रमाण राज्य का वित्त निगम है जिसकी अध्यक्षता हर समय प्रदेश के मुख्य सचिव के पास पदेन रही है।

इस वस्तुस्थिति से यही उभरता है कि अब तक हमारी नीयत और नीति कर्ज लेकर घी पीने तक की ही रही है। सारी योजना का मुख्य बिन्दु हर रोज़ कर्ज के नये स्त्रोत तलाशने तक ही रहा है। प्रशासन से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक सभी तदर्थवाद पर ही चलते रहे हैं। किसी ने भी यह चिन्ता करने का प्रयास नही किया कि जिस दिन यह सब कुछ अचानक धराशायी हो जायेगा तो तब क्या होगा। यह कहना कतई गलत है कि प्रदेश के पास संसाधन नही है और यह आत्मनिर्भर नही हो सकता। इसके लिये नीयत और नीति चाहिये। लेकिन शायद तन्त्र की नीयत ''ऋणम् कृत्वा धृतम पीवेत'' की हो गयी है। नीति के लिये अध्ययन और जानकारी चाहिये। वह थोड़ा कठिन काम है परन्तु असंभव नही। इसलिये युवा मुख्यमन्त्री से यही आग्रह है कि कर्ज की स्थिति से बाहर निकलने के लिये नीयत दिखाओगे तो नीति भी कोई दिखा देगा।

भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश आंकड़ों पर नहीं, अवधारणाओं पर आधारित

थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन ने हाल में एक जनमत सर्वेक्षण किया है जिसका शीर्षक है " महिलाओं के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देश 2018" फाउंडेशन ने कहा है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। यह घोषणा किसी रिपोर्ट या आंकडों पर नहीं बल्कि एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।

इस नतीजे तक पहुंचने के लिए रायटर्स ने एक दोषपूर्ण प्रक्रिया का उपयोग किया है। रैकिंग, अवधारणा आधारित है। यह मात्र 6 प्रश्नों के जवाब पर आधारित है। ये परिणाम आंकडों के आधार पर नहीं निकाले गये हैं। ये पूर्णतया विचारों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस सर्वेक्षण में मात्र 548 लोगों को शामिल किया गया है। रायटर्स के अनुसार ये व्यक्ति महिला संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। इन व्यक्तियों के पद, संबंधित देश, अकादमिक योग्यता व विशेषज्ञता आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये सभी चीजें सर्वेक्षण की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। संगठन द्वारा प्रक्रिया संबंधी दी गयी जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल कुछ लोग नीति निर्माता है। हालांकि मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी है।

सर्वेक्षण में पूछे गये 6 प्रश्न एक समान रूप से सभी देशों पर लागू नहीं किये जा सकते। जैसे विभिन्न देशों में बाल विवाह की उम्र सीमा अलग–अलग है। इसके अलावा महिला के जनानंगों की विकृति, दोषी व्यक्ति को पत्थर मारना आदि प्रथायें भारत में नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त उपलब्ध आंकडों को साझा करना, नीति निर्माण में सुझाव लेना तथा सरकार की पारदर्शी प्रणालियों के आधार पर भारत में महिलाओं की समस्याओं को रेखांकित किया जाता है। सरकार मीडिया, शोधकर्ताओं तथा स्वयं सेवी संगठनों के साथ खुले रूप से विचारों का आदान–प्रदान करती है। इससे आम लोगों को बहस में जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आम लोग और स्वतंत्र मीडिया, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर खुले रूप से चर्चा कर सकती हैं। ऐसी बहसों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी खुली व्यवस्था में महिलाओं से संबंधित मामले भारत में जोर–शोर से उठाये जाते हैं। संभवतः इसी कारण ऐसी अवधारणा बनती है कि देश की स्थिति खराब है।

सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल, भेदभाव, सांस्कृतिक परम्परायें, यौन हिंसा, गैर यौन हिंसा, मानव तस्करी, जैसे विषयों पर 548 व्यक्तियों का जनमत संग्रह किया गया है। इन क्षेत्रों में भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में स्थितियां बेहतर हुई है। इसलिए भारत की रैंकिंग स्पष्ट रूप से गलत है।

उदाहरण के लिए जून 2018 में जारी नमूना पंजीयन सर्वे (एसआरएस) के अनुसार प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में 2013 की तुलना में 22 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके अलावा जन्म के समय लिंग अनुपात भी बेहतर हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि लिंग आधारित गर्भपात की संख्या में भी कमी आयी है।

आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिलाओं की आजीविका के लिए लगभग 45.6 लाख स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है और इसके लिए 2 हजार करोड रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। बालिकाओं के वित्तीय समावेश के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं। कुल जनधन खातों में से आधे महिलाओं के हैं। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकनों की संख्या समान है। इस प्रकार यह कहना गलत है कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

बाल विवाह की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी आयी है। 0–9 वर्ष की आयु सीमा में बाल विवाह की संख्या शून्य है। 15 से 19 वर्ष की आयु सीमा में लड़कियों के मां बनने या गर्भवती होने की संख्या में भी कमी आयी है। यह 2005–06 में 16 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 7.9 प्रतिशत हो गयी है।

एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 2016 में दुष्कर्म के 38,947 मामले दर्ज किये गये हैं। 2014 और 2015 में क्रमशः 36735 और 34651 मामले दर्ज किये गये थे। मामलों की संख्या में वृद्धि, पुलिस तक आसानी से पहुंचने का परिणाम है। इसके अतिरिक्त भारत में दुष्कर्म की दर प्रति हजार पर 0.03 है, जबकि यूएस में यह प्रति हजार पर 1.2 है। तेजाब फेंकने के मामले भी गिने चुने हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि दोषियों को पत्थर मारने तथा महिलाओं के जननांगों को विकृत करने की प्रथा भारत में नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंसा के मामले में भारत विश्व का सबसे खतरनाक देश नहीं है।

बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी के मामलों में भी कमी आयी है। अपराध की रिपोर्ट होने पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुर्नवास) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत मानव तस्करी की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है।

भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित करने का प्रयास केवल भारत की छवि को धूमिल करने जैसा है। यह प्रयास महिलाओं के पक्ष में हो रहे वास्तविक प्रगतियों से ध्यान हटाने जैसा है।

2012 के दुर्भाग्य पूर्ण घटना के पश्चात पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग है तथा उन्हें घर में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तथा समाज में बराबरी का हक देने के लिए कृत संकल्प है। सरकार इस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर रही है।

यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2013 तथा अपराध कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 के तहत बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसकी परिभाषा को विस्तार दिया गया है और इसमें तेजाब से हमला, स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न, महिला के सम्मान को चोट पहुंचाना, 18 साल से कम उम्र के लड़कों से किया गया यौन अपराध आदि को शामिल किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में भी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत को विस्तार दिया गया है और इसमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन पर बाल विवाह का खतरा है। इस अधिनियम में 16 वर्ष या इससे अधिक के किशोरों को व्यस्क के समान माने जाने का प्रावधान है यदि वे बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त पाये जाते हैं।

राज्य सरकारें पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 33 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं की सहायता के लिए 193 वनस्टॉप केन्द्र तथा 31 राज्यों में हेल्पलाईन की शुरूआत की गयी है। इन हेल्पलाईनों से महिलाओं को 24 घंटे सहायता व सुझाव प्राप्त होते हैं। इनमें पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, कानूनी सलाह, मेडिकल सुविधा, मानसिक सामाजिक परामर्श, अस्थाई निवास आदि शामिल है। पिछले तीन वर्षो में संस्थानों ने 12 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गयी है। यह मुस्लिम महिलाओं को समानता का अवसर उपलब्ध करायेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के तहत मुद्रा योजना के अंतर्गत 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों को 2,25,904 करोड रुपये का ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत महिलायें हैं। कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और वे आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित कर रही हैं। 5 लाख से अधिक महिलायें कंपनियों में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का आवंटन महिलाओं या संयुक्त रूप से महिला व पुरूष के नाम पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 लाख आवासों का आवंटन महिलाओं के नाम पर किया गया है। पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं की हिस्सेदारी मिलने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरूआत की है। इसके सुखद परिणाम सामने आये हैं। स्कूल छोड़ने की संख्या में कमी आयी है। कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

माताओं के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हुआ है। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मातृत्व अवकास को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। इससे महिलाओं को नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आयेगी और गर्भावस्था के दौरान उनकी आय में भी कमी नहीं होगी। पूरे देश में माताओं को नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे गर्भावस्था का पंजीयन कर सकें, अस्पताल में शिशु का जन्म हो और शिशु के जन्म के पहले और बाद उनकी देखभाल हो।

इन प्रयासों से स्थितियां बेहतर हुई हैं। भारतीय महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं। तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कहना वास्तविकता से परे है। पसूका

भारत में गहराता आर्थिक संकट

– अनुराग

देश का गहराता आर्थिक संकट किसी से छिपा नही है। इसके चलते लोगों का मौजदा राजनीति और लोकतन्त्र पर विश्वास कम होता जा रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी अब धूमिल होती जा रही है। उनकी लोकप्रियता के दो आधार थे- हिन्दुत्व और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था। लेकिन दूसरा आधार अब तेजी से खिसकने लग गया है।

नोटबंदी और जीएसटी केन्द्र सरकार की ऐसी दो नीतियां साबित हुई हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। नोटबन्दी के एक साल से भी कम समय बाद जीएसटी लगाकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि को न सिर्फ धीमा किया गया बल्कि पहले से ही सुस्त उत्पादन और निर्माण क्षेत्र को भी ठप्प कर दिया गया है। पिछल वर्षो में भारत का उपभोक्ता विश्वास कम हुआ है, निर्माण की गति धीमी हो गयी है। निवेश दर गिर गयी है कई कारखाने बन्द हो गये हैं तथा बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ती जा रही है।

भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कालेधन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री ने नवम्बर 2016 में पुराने बड़े नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। लेकिन न तो आतंकवाद की कमर टूटी, न ही भ्रष्टाचार का कुछ बिगड़ा और न ही कभी यह पता चल पाया कि वास्तव में कितना कालाधन पकड़ा गया। रिर्जव बैंक के आंकड़े से 98.96 प्रतिशत पुराने नोट बैंकों में वापस आने की पुष्टि की जा चुकी है। फिर भी अब तक पुराने नोट बदले जाने की बातें अखबारों की सुर्खियों बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, नोटबन्दी ने भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों पर जमकर कहर बरपाया। कालाधन, जिसे हटाने के लिये इतनी बड़ी मुहिम चलायी गयी थी वह कहां गया, उसका कुछ अता-पता नही चला।

नोटबंदी और नयी टैक्स व्यवस्था के चलते घरेलू उद्योग-धन्धे चौपट हो गये। बड़ी संख्या में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग-धन्धे बन्द हो गये। 2017 में जनवरी से अप्रैल तक करीब 15 लाख लोग बेरोजगार हो गये थे। 73 प्रतिशत निर्माण कम्पनियों ने कई महीनों तक भर्तियां नहीं निकाली, उल्टे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। दिसम्बर 2016 में बिहार के वित मंत्री के मुताबिक बिहार के 95 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक घर वापस लौट आये थे क्योंकि उनके मालिकों के पास वेतन का भुगतान करने के लिये पैसा नही था। देश के सबसे बड़े निर्माताओं द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 8 नवम्बर 2016 के बाद उद्योगों में 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत नौकरियां कम हुई हैं।

नोटबन्दी ने असंगठित क्षेत्र, छोटे और मध्यम उद्योगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस अकेले निर्णय ने लाखों अनुबन्धित मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। रोजगार के अवसरों के मामले में पूरे देश का असंगठित क्षेत्र प्लेग जैसी महामारी का शिकार हो गया है। जैसे ही रोजगार के अवसर सम्भलने लगे वैसे ही नयी कर व्यवस्था, जीएसटी ने उन्हें फिर से निगल लिया। कपड़ा उद्योग, निर्माण और रीयल एस्टेट जैसे अन्य दूसरे उद्योगों को जीएसटी में गंभीर रूप से लम्बे समय के लिये फिर से बीमार कर दिया है।

2011 की जनगणना के अनुसार केवल 10 % लोग ही संगठित क्षेत्र में काम करते है। जबकि 90 % लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में हर महीने 10-15 लाख नये नौजवान बाजार में रोजगार तलाशने आते हैं। ऐसे में नये नौजवानों का भविष्य भंयकर अन्धेरे में है। रोजगार न होने के चलते नौजवान अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 में अपराधों की संख्या भी 2.6 % की दर से बढ़ी है। यह कोई अच्छा संकेत नही है।

इण्डियन एक्सप्रेस द्वारा पेश किये गये अग्रणी सूचीबद्ध कम्पनियों के रोजगार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादातर कम्पनियों ने 2016-17 में अधिक संख्या में लोगों को बेरोजगार किया। 107 कम्पनियों के सर्वे में पाया गया कि इन कम्पनियों ने कुल 14,668 कर्मचारियों को बेरोजगार किया है जैसे - एलएंडटी (1,888), हिन्दुस्तान यूनिलीवर(1,453), आइडिया सेल्यूलर (707), एसीसी(535), टाटा मोटर्स (534), टाटा स्टील(450), हिंडाल्को (439) और टाइटन इंडस्ट्रीज (422)

वर्ष 2005 से 2009 के बीच सालाना विकास दर 8 % से अधिक (सरकारी आंकड़ो से) तथा 2010 और 2014 के बीच 7 % से अधिक रही है। वहीं वर्ष 2017-18 में विकास दर घटकर 6.5 रह गयी है। यह पिछले चार वर्षो में सबसे कम है। विकास दर का यह अनुमानित आंकड़ा देश के घरेलू उद्योग-धन्धो की हकीकत ब्यान करता है।

भारत का विशाल बाजार और यहां की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशको को निवेश के लिये लुभाती है। उनके लिये सरकार लाल कारपेट बिछाये बैठी है, इन्तजार करते-करते आँखे पथरा जाने को हैं लेकिन कोई निवेश नही आ रहा है। निवेशकों को रिझाने के लिये सरकार ने सारे हथकण्डे अपनाये मुनाफे की गारण्टी भी देने का वादा किया और श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर एक-एक करके मजदूरों के सारे हक भी छीन लिये। फिर भी कोई निवेशक भारत में आने का नाम नही ले रहा है। प्रधानमन्त्री मोदी ने कुल 49 देशों और 6 महाद्वीपों में निवेश के लिये चक्कर लगाये और इस यात्रा में कुल 275 करोड़ रूपये (नवम्बर 2016 तक) खर्च कर चुके हैं। इतने भ्रमण और मिन्नतों के बाद भी बहुत थोड़े निवेशक ही आ पाये।

सरकार की नातियों के चलते संरक्षण प्राप्त ऊपर के एक प्रतिशत लोगों को छोड़कर देश का तबका सामाजिक और आर्थिक रूप से विभाजित और कमजोर हुआ है। लोगों में एक अलग तरह की शत्रुता की भावना उपजी है। खासकर हिन्दुओं और मुस्लमानों के बीच नफरत बढ़ी है और जातियों के बीच भी दुर्भावनायें पैदा हुई हैं। इससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर हुआ है।

भारत में औद्यौगीकरण काफी निम्न स्तर पर है जिसके चलते अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिये बाहरी देशों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। देश के औद्योगिक क्षेत्र की हालत बेहद बदतर स्थिति में है। फिर भी औद्योगिक बढ़ाने के बजाये मोदी सरकार का मुख्य एजेण्डा एफडीआई और विनिवेश को तेज करना ही रहा है। श्रमिकों के हक को ताक पर रख कर श्रम कानूनों में बदलाव किये जा रहे हैं। देश में साम्प्रदायिक और जातीय भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है और इस कोशिश में हिन्दुत्ववादी संगठन और पार्टियां सबसे आगे हैं। इन पर सरकार प्रभावी रोक लगा पाने में नाकामयाब हो गयी हैं। जब किसी भी समय निवेशक का पैसा डूबने का डर हो, तो सामाजिक नाव के इस महौल में आखिर कौन निवेशक यहां निवेश करना चाहेगा?

सरकार की नीतियों के चलते संरक्षण प्राप्त ऊपर के एक प्रतिशत लोगों को छोड़कर देश का हर तबका सामाजिक और आर्थिक रूप से विभाजित और कमजोर हुआ है। लोगों में एक अलग तरह की शत्रुता की भावना उपजी है।

औद्योगिकरण को बढ़ाने के नाम पर मोदी सरकार ने एक और भ्रमित करने वाला कदम उठाया। विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिये ''मेक इन इण्डिया'' अभियान के तहत 2016 में लगाये गये ज्यादातर उद्यम लगभग एक साल बाद 2017 में बन्द हो गये।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना(पीएमकेवाई) शुरू की गयी और कहा गया कि हमारे नौजवानों के पास स्किल नही है। इस योजना के तहत पूरे देश में युवाओं को स्किल्ड बनाने की मुहिम चलाने की डींगे हॉकी गयी। जुलाई 2017 के आंकड़ो पर गौर करें तो पता चलता है कि कुल 30.67 लाख उम्मीदवार जो प्रशिक्षित किया जा चुके थे या ट्रेनिंग पीरियड में थे, उनमें से केवल 2.9 लाख उम्मीदवारों को ही नौकरी के ऑफर प्राप्त हुए हैं। यह कुल के 10 प्रतिशत से भी कम है। इस सरकारी आंकड़े में यह नही बताया गया कि इन नौजवानों को केवल ऑफर ही मिले हैं या नौकरियां भी मिली हैं। यह नौकरियां समानजनक भी हैं या नही?

रोजगार सृजन देश की सबसे जरूरी राजनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। मोदी एक साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे के करीब भी नहीं फटके। इसके उल्टे बेरोजगारों को अपमानित करने की सारी हदें पार करते हुए पकोड़ा तलने का एक नया जुमला उछाला गया। मोदी जी को जब युवाओं से पकोड़े ही तलवाने थे तो फिर स्किल डवेलपमेंट और ''मेक इन इण्डिया'' जैसी अन्य योजनाओं को चलाने का क्या उद्देश्य था?

2015 और 2016 में देश के दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक आने वाले सूखे ने लाखों किसानों को बर्बाद कर दिया, जिससे समग्र विकास प्रभावित हो गया। खुद को किसानों-मजदूरों का बेटा बताने वाले प्रधानमन्त्री ने किसानों की मदद के बजाय उनको मिलने वाली सब्सिडी लगभग खत्म कर दी। देश में विदेशी कम्पनियों को खेती का ठेका दे दिया गया। साम्राज्यवादी देशों से मुक्त व्यापार समझौते के तहत कृषि उत्पादों के गैर जरूरी आयात की मंजूरी दी गयी। पिछले कुछ वर्षो में कृषि उत्पादों के आयात में 4 गुणा की वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर निर्यात में काफी कमी आयी है। मतलब साफ है जब बिकेगा नही तो पैदा क्यों करेंगे और जब पैदा नहीं करेंगे तो निर्यात के बजाय आयात ही कर सकते है। आयात में खर्च होने वाला धनराशि किसानों की जेब में जाने के बजाय साम्राज्यवादी देशों के खातों में जा रही है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसी किसान विरोधी नीतियों को अध्यादेश के जरिये जबरन लागू करने की कोशिश की गयी। कानूनी जामा न पहना पाने की स्थिति में सरकारें जनता से लाठी-डंडे के जोर से जमीन छीन रही है।

खेती में साम्राज्यवादी नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। किसानों की तबाही की कोई परवाह नहीं की जा रही है। खेती, स्वास्थ्य और पूरे पर्यावरण के लिये नुकसानदेह बीटी और जीएम बीजों की मंजूरी बिना किसी नुकसान की परवाह किये दे दी गयी। साम्राज्यवादी कम्पनियों के मुंह में मुनाफे का खून लग गया है और वे किसानों को लूट कर मुनाफा कमा रही है। चुनाव के समय कर्जे माफी जैसे जुमले भी खुब उछाले गये। मध्यप्रदेश में किसानों ने जब कर्ज माफी के लिये आन्दोलन किया तो उन पर लाठी-गोली चलायी गयी। सरकार ने गोली से 6 किसानों की हत्या कर दी लेकिन किसानों की हत्या के बाद भी प्रधान सेवक ने झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखवायी।

वैश्विक स्तर पर ही नही भारत में भी अमीरी-गरीबी के बीच की खाई और ज्यादा गहरी हुई है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल सम्पति का 82 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास है। दूसरी तरफ दुनिया के 370 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सम्पति में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

वहीं 2017 में भारत में कुल उत्पन्न सम्पति का 73 प्रतिशत हिस्सा देश के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के नाम रहा। अब भारत में अरबपतियों की संख्या 101 हो गयी है। केवल 2017 में ही इनकी कुल सम्पति में 20.7 लाख करोड की बढ़ौत्तरी हुई जो भारत सरकार के वर्तमान बजट के लगभग बराबर है। पिछले साल यह रकम 4.89 लाख करोड़ रूपये थी। जहां एक ओर अरबपति बढ़े हैं वहीं दूसरी ओर भारत की 99 प्रतिशत आबादी बाकी बचे 27 प्रतिशत में अपना हिस्सा पाने के लिये, अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये लड़ रही है। अर्थव्यवस्था में गिरावट को सम्भालने में नाकाम सरकारों ने लोगों को धर्म या जाति के आधार पर विभाजित कर दिया है। साम्प्रदायिक तनाव पूरे देश में जोरों पर है। मोदी जब से सत्ता में आये हैं तभी से लव जेहाद, घर वापसी, पाकिस्तान के खिलाफ अन्धराष्ट्रवाद, गाय बचाओ अभियान जैसे आग लगाने वाले मुद्दों की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आज गोमांस को राजनीति का विषय बना दिया गया है। शक के आधार पर कई मुस्लिम मार दिये गये। वोट बैंक के लिये हिन्दु- मुस्लिम नफरत को भड़काया जा रहा है। जिसके चलते सामाजिक अपराधों में वृद्धि हो रही है और दिलों में नफरत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज आर्थिक गतिविधियां सीमित हैं तो लोगों को साम्प्रादायिकता में लगा देना एक आसान राजनीतिक चाल बन गयी है, जिनमें जनता उलझी रहे और आर्थिक गतिविधियों और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर सवाल न खड़ा होने पाये। सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिये जनता को धर्म और जाति में बाटकर उलझाए रखना चाहती है। हर राजनीतिक समस्या को हिन्दु-मुस्लिम की तरफ मोड़ दिया गया है। देश को दंगे की आग में झोकने के लिये अफवाहों की आंधी चलायी जा रही है। ढेरों गंभीर और बुनियादी सवालों से सरकार ने मुह मोड़ लिया है। जनमानस का राजनीति के प्रति बढ़ता अविश्वास कही देश के तथाकथित लोकतन्त्र की जड़ो को ही खोखला न कर दे।

साम्राज्यवादी कम्पनियों के मुंह में मुनाफे का खून लग गया है और वे किसानों को लूटकर मुनाफा कमा रही हैं।

साभार देश-विदेश से

जय राम सरकार का छः महीनों का कार्यकाल असफलताओं से परिपूर्ण:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जय राम ठाकुर सरकार के 6 महीनों का कार्यकाल असफलताओं से परिपूर्ण रहा और प्रदेश की जनता को महज निराशा ही हाथ लगी है। सरकार का सारा समय अपने को स्थापित करने के प्रयासों में ही निकल रहा है और प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल बन रहा है। जहां यह सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम रही है, वहीं यह सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो रही है। वर्तमान सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे हट रही है और खासतौर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई भी ठोस नीति या कार्यक्रम बनाने में यह सरकार असफल रही है। सरकार का अभी तक का समय केवल जश्न मनाने, प्रशासनिक तबादलों और दौरों में ही बीत गया है।

मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर नहीं लगते इसलिए प्रदेश में सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। हारे-नकारे लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। मुख्य मंत्री पूरी तरह से RSS और ABVP के प्रभाव में काम कर रहे हैं, नतीजन प्रशासनिक अमला पटरी से उतर गया है।

हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मसला कानून-व्यवस्था का है। गत 6 महीनों में प्रदेश में आए दिन हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं जिससे यह देवभूमि शर्मसार हुई है। प्रदेश में 100 से अधिक बलात्कार और 35 के करीब हत्याएं इस दौरान हो चुकी हैं। इतने अल्प समय में यह आंकड़ा अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। और मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिला है, यह अपने आप में हास्यास्पद टिप्पणी है। कसौली में दिन-दिहाड़े एक अधिकारी एवं कर्मचारी की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है और पूरा प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक बनकर इस घटना को देखता

रह गया। यह भी सरकार की असफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले भाजपा शोर मचाती थी कि कांग्रेस शासन में माफिया सक्रिय है लेकिन प्रदेश में हर तरह का माफिया सरकार के संरक्षण में दनदना रहा है। यह 6 महीने का समय महज जश्न और घोषणाओं का समय ही रहा और इन 6 महीनों में सरकार विकास के नाम पर एक ईट भी नहीं लगा सकी।

आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से पिट गई है। केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तासीन होने के बावजूद और मुख्यमंत्री के 6 महीनों में दर्जनों दिल्ली के दौरे लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों के दरवाजों पर दस्तक दे चुके हैं परंतु इसके बावजूद भी आर्थिक पैकेज लाने में नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री यह दलील दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कर्जे की बैसाखियों से बाहर निकालना मुश्किल है और खुद सरकार अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लेकर काम चला रही है।

प्रदेश की राजधानी और अंतराष्ट्रीय पर्यटन स्थल शिमला में लोगों को पीने-का-पानी मुहैया करवाने में भी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। जहां इससे पर्यटन के क्षेत्र में नुकसान हुआ वहीं अंतराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की साख को भी बट्टा लगा है। ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा कि मुख्य न्यायाधीश को स्वयं आधी रात को पानी की सप्लाई सुचारु रूप से चलाने के लिए स्कीमों का निरीक्षण और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाहर निकलना पड़ा हो। ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले बनाए गए। इस दौरान प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल खड़ा हो गया और हजारों कर्मचारियों के तबादले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किए गए। यहां तक की प्रदेश में बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए पूरा-पूरा कॉडर का ही अब तक स्थानांतरण हो चुका है। एक ही अधिकारी का तबादला कई दफा करके अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षा को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार RSS के प्रभाव में काम कर रही है और इस समय सत्ता के कई केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे अफसरशाही भी परेशानी के आलम में है। सत्ता में RSS और ABVP का बोलबाला है और ये लोग तांडव मचाए हुए हैं।

नेशनल हाईवे के नाम पर भी राज्य की जनता से धोखा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में नेशनल हाईवे के लिए करोड़ों रुपये की घोषणा की गई है परंतु अभी तक फूटी-कौड़ी भी प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई। यह स्वयं एक प्रश्न है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है जोकि चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी ठोस नीति इस दिशा में नहीं बनाई गई है।

प्रदेश में सबसे बड़ा वायदा पिछले चुनावों के दौरान किया गया था कि सरकार बेरोजगारी को दूर करेगी। आज सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई भी पुख्ता कार्यक्रम नहीं बनाया है और यह मात्र कोरी घोषणा ही साबित हुई है। आज प्रदेश का बेरोजगार अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहा है। सरकार बेरोजगारों से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है और युवाओं को नौकरी देने की बजाये उन्हें दुकानें आदि स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जोकि प्रदेश की युवा पीढ़ी के साथ एक भद्दा मजाक है। युवाओं को रोजगार का छलावा देने वाली भाजपा विपक्ष में रहते हुए पूरे पांच वर्ष रिटायर्ड और टायर्ड का रोना रोती रही है। आज आलम यह है कि भाजपा सरकार खुद रिटायर्ड टीचर्ज को पुनर्नियुक्ति देने की बात कर रही है। जोकि प्रदेश के डिग्रीधारक बेराजगार युवाओं के साथ धोखा है।

RUSSA को समाप्त करने की घोषणा से भी सरकार पीछे हट रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मौजूदा नेतृत्व प्रदेश को प्रगति और विकास की राह पर ले जाने में पूर्णत: असफल साबित हुआ है।

प्रदेश को पी.एम.एस.एम.ए.के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.एम.एस.एम.ए.) के अंतर्गत अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) बी.के.अग्रवाल को नई दिल्ली में पी.एम.एस.एम.ए. के 'आईप्लैजफॉर9' अचीवर्स पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

बी.के. अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पी.एम.एस.एम.ए. क्लीनिकों में सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करवाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अभियान अगस्त, 2016 में आरम्भ किया और इसके अन्तर्गत 495 पी. एम.एस.एम.ए. क्लीनिक स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगस्त, 2016 से मई, 2018 तक पंजीकृत 1,28,058 गर्भवती महिलाओं में से 87414 (68.26 प्रतिशत) महिलाओं की पी.एम.एस.एम.ए. क्लीनिक में चिकित्सकों द्वारा प्रसव पूर्व जांच करवाने में सफल रही। यह अनुपात सर्वाधिक है तथा पुन: प्रमाणित करता है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मानकों के संबंध में अग्रणी राज्यों में आता है।

उन्होंने बताया कि पी.एम.एस.एम.ए. के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की हर महीने की 9 तारीख को चिकित्सक द्वारा प्रसव पूर्व जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र से स्वयं सेवा करने वाले चिकित्सकों पर विशेष बल दिया जा रहा है। विशेष पूर्व प्रसव जांच के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाता है जिससे इन महिलाओं का उपचार व मार्गदर्शन समय रहते किया जा सके ताकि उनका प्रसव संस्थागत रूप से किया जा सके। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दरों में कमी लाई जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि देश के निजी चिकित्सकों को भी 36 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें से ज़िला मंडी के डॉ. जनदीप बंगा को विशिष्ठ सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उप आवासीय आयक्त विवेक महाजन तथा राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ.अनादि गुप्त भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में तीन वर्षों में बनेगे 51 लाख घर

शिमला/शैल। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की अपनी 35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कुल 3,18,900 घरों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पीएमएवाई (शहरी) ने एक करोड़ की अनुमानित मांग के मुकाबले 51 लाख से अधिक आवास इकाइयों को अनुमोदित कर दिया है। यह योजना

PMAY
PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA
प्रधानमंत्री आवास योजना

अपने क्रियान्वयन के तीन वर्ष पूरे कर रही है और इसने 51 लाख घरों को मंजूरी देने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है। पुरानी आवास योजना की तुलना में यह एक बड़ी छलांग है, जहां क्रियान्वयन के लगभग 9 वर्षों में 12.4 लाख घरों को स्वीकृति दी गई थी। ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन योजना के नवोन्मेषी ढांचे के कारण है, जहां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परियोजनाओं को मंजूरी देने का लचीलापन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक सख्त दृष्टिकोण के बजाय लाभार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार मिशन के चार शीर्षो को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। महाराष्ट्र ने आयोजित 35वीं सीएसएमसी में 2.48 लाख घरों को अनुमोदित करने के द्वारा झुग्गी निवासियों को आवास उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को अर्जित करने में बड़ी छलांग लगाई है।

पीएमएवाई (शहरी) के तहत स्वीकृत कुल परियोजना लागत 77,934 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2.81 लाख करोड़ रुपये है। कुल 7.60 लाख मकान पहले ही पूर्ण हो चुके है और अन्य 28 लाख घरों का निर्माण कार्य जारी है। सीएलएसएस के माध्यम से आवास वित्त का व्यापक विस्तार हो रहा है। आज की तारीख तक मिशन के सीएलएसएस शीर्ष के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई है, जो 2008 से 2013 के दौरान पहले के तुलनात्मक ब्याज सब्सिडी योजनाओं से लाभांवित 18,166 लाभार्थियों की तुलना में काफी अधिक है। सीएलएसएल के एमआईजी घटक के तहत 200 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया विस्तार का सभी हितधारकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है।

कवरेज के लिहाज से, मिशन पूर्व में क्रियान्वित की जाने वाली आवास योजना के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। भारत सरकार मिशन अवधि-2022 के आखिर तक 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमएवाई (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) को जुटाने हेतु 60 हजार करोड़ रुपये के एक राष्ट्रीय शहरी आवास फंड का गठन किया गया है। सहकारी संघवाद के लोकाचार के अनुरूप, राज्य/संघ शासित प्रदेश उल्लेखनीय उत्साह एवं पहलों के साथ योजना क्रियान्वित कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है।

किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार के प्रयास

शिमला/शैल। कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 62 प्रतिशत को रोज़गार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है तथा राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है।

सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं तथा अनेक नई योजनाएं चलाई जानी प्रस्तावित हैं ताकि लोगों को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोज़गार प्राप्त हो तथा साथ ही कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी होने से किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप पूर्ण निष्ठा से किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है।

किसानों-बागवानों कि आय तभी बढ़ेगी जब उनके उत्पाद में वृद्धि होगी। कृषि व बागवानी उत्पाद में वृद्धि के लिए पर्याप्त सिचाई सुविधाओं का होना आवश्यक है। सिचाई सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से इस वर्ष तीन नई सिचाई योजनाएं-'जल से कृषि को बल', 'बहाव सिचाई योजना' व 'सौर सिचाई योजना' आरम्भ की जा रही हैं जिसके तहत क्रमशः 250, 150 व 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत 338 करोड़ रुपये की लागत से 111 लघु सिचाई योजनाओं के लिए एक नई इकाई मंज़ूर की गई है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 49 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में लघु सिचाई योजनाओं के विकास के लिए 277 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। किसानों को सिचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ही प्रदेश की पुरानी पेयजल व सिचाई योजनाओं को दुरुस्त किया जाएगा जिसके लिए केन्द्र सरकार को 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषकों को सिचाई के लिए बिजली की वर्तमान दर 1 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट की जा रही है जिससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे।

प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल की गत बैठक में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए प्रदेश में 'प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान' योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना से प्राकृतिक कृषि को नई दिशा मिलेगी तथा किसानों द्वारा खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आएगी। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिज तैयार किया जाएगा।

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फल एवं सब्जी उत्पादन के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 5 जिलों में 300 करोड़ रुपये की जीका (JICA) फसल विविधिकरण योजना लागू की गई है। अब इस योजना के द्वितीय चरण को 1000 करोड़ रुपये की लागत से सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

प्रदेश में सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 'वाई.एस.परमार किसान स्वरोज़गार योजना' के तहत पॉली हाऊस के निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में दौरान 23 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। किसानों की फसलों को बन्दरों, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचाने के लिए 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के लिए इस वर्ष 85 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान के साथ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों जैसे फूलों की खेती, मौन पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन जैसी गतिविधियों को विस्तार देकर भी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

मजदूरों की कमी के कारण कृषि का यन्त्रीकरण समय की मांग है। ऊंचे दाम के कारण बहुत से कृषक ट्रैक्टर, पॉपर वीडर, पॉवर टिल्लर जैसे उपकरण नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में 'कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र' स्थापित किए जाएंगे, जिनमें किसान-बागवान किराए पर उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रदेश के किसानों एवं युवा उद्यमियों को 25 लाख रुपये की राशि तक की मशीनरी पर सरकार 40 प्रतिशत उपदान प्रदान करेगी। कृषकों व बागवानों को पॉवर वीडर, पॉवर टिल्लर तथा अन्य उपकरणों पर उपदान के लिए 32 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

उत्पादन लागत कम करने के उपायों के तहत वर्ष 2018-19 में सभी कृषकों को पोषकों के संतुलित उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रदेश की जलवायु गैर-मौसमी सब्जियों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश सरकार किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीज वितरित करेगी। अच्छी किस्म वाले अनाज के बीज भी उपदान पर वितरित किए जाएंगे। जैविक कीटनाशक संयन्त्र की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत निवेश उपदान देने का प्रावधान किया जा रहा है।

राज्य में 13 अनुसंधान केन्द्रों तथा आठ विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों तथा बागवानों को कृषि तथा बागवानी की उन्नत तथा नवीनतम जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने सभी विज्ञान केन्द्रों के साथ अपनी-अपनी परिधि के किसानों-बागवानों को वाट्सएप्प के साथ जोड़ कर एक नवीन पहल की है। इससे जहां किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रसस्त हुआ है वहीं उन्हें ऋतुवार फसलों से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं। किसानों की समस्याओं व मांगों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए किसान कृषि विभाग की टोल फ्री हेल्पलाईन सेवा 1550 आरम्भ की गई है।

अमेरिका आयातित सेबों पर टैरिफ बढ़ने से हिमाचली व्यापारियों को लाभ:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने केंद्र के मोदी सरकार द्वारा अमेरिका से आयातित सेबों पर टैरिफ 50 से बढ़ा कर 80 किए जाने वाले फैसले का स्वागत करते हुए इसे हिमाचली सेब व्यापारियों के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम बताया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज एक उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का हर देश भारत के साथ अपने व्यापारिक हितों को मजबूती देने के लिए तत्पर है। केंद्र की मोदी सरकार देश के साथ-साथ देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सेब उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है और प्रदेश के बहुत से लोगों की रोजी रोटी सेब के व्यापार से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अमेरिका से आने वाले सेबों पर टैरिफ को बढ़ा कर 50 से 80 कर दिया है जिस से देश में हिमाचली सेबों की खपत बढ़ेगी और इसके चलते हिमाचल प्रदेश के सेब व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश से विशेष प्रेम है और प्रदेश के विकास के लिए वो हर जरूरी कदम उठाते हैं। हाल ही मे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है।

सरकार न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में न्यायिक प्रणाली के सुधार के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी क्योंकि प्रदेश के नागरिकों को न्याय प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के समीप घंडल में न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक खण्ड के लोकार्पण अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। इस भवन का निर्माण 81 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ईमानदार एवं कर्मठ न्यायिक प्रणाली स्थापित है, जिसके फलस्वरूप राज्य की न्यायपालिका में वर्ष 2016 में कुल 206727 लम्बित मामलों में से पांच वर्ष से अधिक समय से मात्र 5.96 प्रतिशत मामले लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में भारत में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट में बताया है कि उत्तरी-पूर्वी राज्यों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश पुराने मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक परिणाम प्रदान करने वाला राज्य है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र केवल लोगों की प्रभुता पर ही आधारित नहीं है बल्कि संविधान में भी उल्लेखित है कि न्यायपालिका राज्य का तीसरा स्तम्भ है, जो कि संविधान एवं लोकतंत्र की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र का आधार है तथा एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन तीनों शाखाओं के बीच सौहार्द व सामंजस्य होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इस शानदार भवन को निर्मित करने में सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करने में उदारवादी रही है। उन्होंने कहा कि अकादमी के निर्माण के लिए 165 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने आशा जताई कि अकादमी सभी को न्यायिक ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ इसका प्रचार-प्रसार भी करेगी। इसके अतिरिक्त अकादमी आज के युग में संवैधानिक, मूलभूत एवं आर्थिक रूप से आवश्यक सामाजिक न्याय का प्रचार करने में भी सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर एवं अकादमी निश्चय ही प्रदेश का मुख्य आकर्षण बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने शांतिप्रिय लोगों के कारण देवभूमि के नाम से जाना जाता है लेकिन फिर भी प्रदेश में कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की न्यायपालिका ईमानदारी व समर्पण भाव के लिए जानी जाती है तथा विधायिका व न्यायपालिका दोनों ही प्रदेश के लोगों को एक समान उद्देश्य से उचित तरीके से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विधायिका का दायित्व लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है जिसके लिए न्यायपालिका उचित माध्यम है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य व कार्रवाई कानून की सीमा में किया जाए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हम सभी को समाज को प्रगतिशील, कानूनप्रिय तथा शांतिप्रिय बनाने के लिए मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए, जिसके लिए न्यायपालिका की सहभागिता व सहायता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को नए विचार, पहल तथा सोच से परिचित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर शासन प्रदान करने व राज्य के हित के लिए न्यायपालिका में सुझाव का स्वागत करेगी।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्यायिक अकादमी एक मनमोहक व शांत स्थान पर स्थित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पूरे विश्व में अपार पर्यटन संभावना वाले सुन्दर राज्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता है कि राज्य सरकार इस संभावना का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि अकादमी अधिवक्ताओं को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ संस्थान साबित होगी। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ न्यायिक प्रणाली के लिए अधिवक्ताओं को न केवल बुद्धिजीवी होना चाहिए बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रबुद्ध होना चाहिए। अकादमी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को नवीनतम जानकारी से अवगत करवाने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं, कान्फ्रेंस व सेमीनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आज के समय में नितान्त आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों से स्वागत किया। उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान न्यायिक प्रणाली में आम जनता के साथ वार्तालाप आरम्भ किया था। उन्होंने कहा कि न्यायिक अकादमी विधिक विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं विधिक विशेषज्ञों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में सफल साबित होगी।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने धन्यावाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि अकादमी का निर्माण केवल राज्य सरकार की उदारवादी सहायता के कारण ही संभव हो पाया है।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नगर निगम शिमला में चल रहा विवाद नेताओं के आपसी हितों के टकराव या किसी बड़े विस्फोट का संकेत

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला में भाजपा पहली बार सत्ता में आयी है और उसके लिये भी निर्दलीय को उपमहापौर का पद देना पड़ा है। लेकिन शायद भाजपा को निगम की सत्ता रास नहीं आ रही है। क्योंकि भाजपा के अपने ही पार्षदों ने अपने ही महापौर और उपमहापौर के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोल रखा है कि दोनों को ही पदों से हटाने की मांग की जाने लगी है। इस संबंध में स्थानीय विधायक और शिक्षामन्त्री सुरेश भारद्वाज और पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के प्रयास भी इस विवाद को सुलझाने में सफल नही हो पाये हैं। निगम की बैठक से पिछली रात दोनों नेताओं ने विवाद को सुलझाने में जितने प्रयास किये उनके परिणामस्वरूप पार्षद बैठक में तो आ गये लेकिन जब कांग्रेस के पार्षदों ने सदन से वाकआऊट किया तो उसके बाद भाजपा के अपने पार्षदों का भी एक बड़ा वर्ग बैठक से बाहर आ गया। यह वर्ग यदि बैठक से बाहर न आता तो सदन की कार्यवाही चल सकती थी लेकिन ऐसा नही हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा। भाजपा के बारह आये पार्षद नाराज धड़े के माने जाते हैं यदि यह वर्ग इसी तरह नाराज चलता रहा तो निगम की सत्ता भाजपा से छिन भी सकती है।

पार्षदों की नाराज़गी का कारण पिछले दिनो शिमला में आया जल संकट तत्कालीन मुद्दा रहा है। जल संकट से पूर्व शहर ने लम्बे समय तक सफाई का संकट भी झेला जब निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गये थे। पेयजल और सफाई के ही दो बड़े मुद्दे थे जिनकी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निगम चुनावों में वायदे और दावे किये गये थे। लेकिन इन सारे दावों वायदों पर निगम सफल नही रही है और इसी कारण से विकास को लेकर किये गये दावों वायदों तक तो निगम प्रशासन कोई कदम नही उठा ही नही पाया है। उपर से यह हो गया कि पेयजल संकट चल रहा था उस समय निगम की महापौर संयोगवश चीन की यात्रा पर चली गयी थी। पेयजल संकट को लेकर हर वार्ड मे परेशानी रही है लोग पूरे आक्रोश मे रहे हैं। कई जगह तो सड़कों पर निकलने को विवश हुए हैं। मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव को सारा संचालन अपने हाथ में लेना पड़ा। उच्च न्यायालय भी पन्द्रह दिन लगातार स्थिति का संज्ञान लेता रहा है। आयुक्त को लगभग हर दिन अदालत में पेश होना पडा है। उच्च न्यायालय की प्रताडना तक झेलनी पडी है। एक एसडीओ को निलंबित तक किया गया है। इस वस्तुस्थिति में उभरे जनाक्रोश का सीधा समाना हर पार्षद और उसी के साथ स्थानीय विधायक को भी झेलना पड़ा है। जबकि पार्षदों और विधायक को इसमें कोई सीधा दोष नही था। क्योंकि मूलत: यह निगम प्रशासन की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब स्त्रोतों में ही पानी की कमी हो गयी थी तो प्रशासन भी काफी हद तक विवश हो गया था। निगम प्रशासन की इस स्थिति को समझते हुए ही प्रशासन में किसी पर तबादले आदि की गाज नही गिरी।

परन्तु अब जब स्थिति सामान्य हो गयी थी तब पार्षदों का महापौर और उपमहापौर के खिलाफ मोर्चा खोलना और उसकी गाज आयुक्त पर तबादले के रूप में गिराया जाना बहुत कुछ अन्यथा सोचने पर विवश करता है। यदि आयुक्त को पेयजल संकट के परिदृश्य में ही बदल दिया जाता तो उसे सरकार का सामान्य और प्रभावी कदम माना जाता। लेकिन आज इस कदम का पूरा अर्थ ही बदल जाता है क्योंकि इस स्थिति को सुलझाने के सुरेश भारद्वाज और सत्ती के सारे प्रयासों के बावजूद भाजपा पार्षदों ने निगम की बैठक से वाकआऊट किया है। शिमला जहां प्रदेश की राजधानी है वहीं पर जिले का मुख्यलय भी है। शिमला नगर निगम पर सबसे अधिक प्रभाव जिला शिमला का माना जाता है। इस नाते निगम के सारे घटनाक्रम को जिले की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिले को इस बार मन्त्रीमंडल में एक ही स्थान मिल पाया है जबकि आठ विधानसभा सीटों के साथ यह प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला है। मन्त्रीमण्डल में सीट पाने के लिये भारद्वाज और बरागटा बराबर के दावेदार थे लेकिन जब यह प्रतिनिधित्व भारद्वाज को मिल गया तब बरागटा और उनके समर्थको में निराशा होना स्वभाविक थी और यह हुई भी और सामने भी आयी। इस निराशा का समाधान निकालने के लिये ही सचेतकों को मन्त्री का दर्जा दिये जाने का विधेयक पारित करवाया गया था। चर्चा उठी थी कि सचेतकों के पदों पर बरागटा और रमेश धवाला की ताजपोशी होगी। लेकिन राज्यपाल की विधेयक पर स्वीकृति मिल जाने के बाद भी यह ताजपोशीयां हो नही पायी है। चर्चाओं के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने इस तरह की व्यवस्थाओं का कड़ा विरोध किया है। सरकार पर विद्यार्थी परिषद् का प्रभाव और दबाव कितना है इसका आभास योग दिवस के दिन हो चुका है। जब एक मन्त्री विद्यार्थी परिषद् के नेता के साथ बैठक तय होने के कारण मुख्यमन्त्री के चाय आमन्त्रण को स्वीकार नही कर पाये।

इसके बाद जब मुख्यमन्त्री ऊपरी शिमला के दौरे पर गये तब जिले के मन्त्री ही उसमें शामिल नही रहे। मुख्यमन्त्री के इस दौरे के आयोजक नरेन्द्र बरागटा रहें है। इस दौरे में एक जगह पुन: से नीवपत्थर रखने का आयेजन हो जाने को लेकर भी चर्चा उठी जिस पर सफाई देने की नौबत आयी। मुख्यमन्त्री का यह दौरा कार्यतर्ताओं में अलग तरह की चर्चा का विषय बन गया है। बरागटा और भारद्वाज के संबधों को लेकर चर्चाएं उठने लगी हैं। इन चर्चाओं का आधार नगर निगम का घटनाक्रम माना जा रहा है। क्योंकि नाराज निगम पार्षदों में शैलेन्द्र चौहान की भूमिका सबसे सक्रिय मानी जा रही है। शैलेन्द्र चौहान को बरागटा का नज़दीकी माना जाता है। इस चर्चा को इससे भी बल मिलता है कि नाराज पार्षदों ने मन्त्री और प्रदेश अध्यक्ष के प्रयासों के बावजूद अपनी नाराजगी को वाकआऊट करके सार्वजनिक कर दिया। नाराज पार्षदों ने पहली बार निगम आयुक्त पर फाईलें लटकाने का आरोप लगाया और सरकार ने तुरन्त प्रभाव से आयुक्त को बदल दिया। निगम में पार्षद बनाम महापौर उपमहापौर विवाद में मुख्यमन्त्री अभी तक तटस्थता की भूमिका में ही चल रहे हैं जबकि इस विवाद का असर अप्रत्यक्षत: सरकार और संगठन पर पड़ता साफ दिख रहा है। क्योंकि मुख्यमन्त्री अभी तक कार्यकर्ताओं को निगमो/बार्डो में ताजपोशीयां देने का फैसला नही ले पा रहे हैं क्योंकि सहमतियां नही बन रही है। जबकि अकेले एपीएमसी कमेटीयों में ही डेढ सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है। जबकि लोकसभा चुनावों के परिदृश्य में यह फैसले तुरन्त प्रभाव से ले लिये जाने चाहिये थे।

बाबा हरदीप की सुक्खु को चुनौति माफी मांगे या मानहानि झेलें

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खु के बीच चल रहे विवाद का निपटारा अभी हो नही पाया है और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने अब इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बाबा हरदीप ने सुक्खु को चुनौती दी है कि वह एक सप्ताह के भीतर यह प्रमाणित करें कि डा. जी संजीवा रेड्डी इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नही हैं। उन्हे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है या किसी अदालत ने उन्हे उनके पद से हटा दिया है। यदि सुक्खु ऐसा कोई प्रमाण नही दे पाते हैं तो वह अपने ब्यान पर इंटक के प्रत्येक कार्यकर्ता से क्षमा याचना करें। नही तो एक सप्ताह के बाद सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दिया जायेगा। स्मरणीय है कि इसी तर्ज का एक मानहानि का मामला कुल्लू की अदालतत में सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष बलदेव ठाकुर की ओर से किया हुआ सुक्खु झेल रहे हैं।

हरदीप बाबा अगस्त 2017 में बिलासपुर में हुए इंटक के चुनावों में तीन वर्ष के लिये अध्यक्ष चुने गय थे। इस चुनाव में इंटक की ओर से राष्ट्रीय संगठन मन्त्री संजय गाबा प्रेक्षक के रूप में हाज़िर थे लेकिन बाबा को जब 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने टिकट नही दिया था तब उन्होंने नालागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। यह चुनाव लड़ने के कारण बाबा को अनुशासनहीनता के तहत कांग्रेस पार्टी से छ: वर्ष के लिये निकाल दिया था। लेकिन इस निष्कासन का इंटक की अध्यक्षता से कोई लेना देना नही था। परन्तु अब कुछ दिन पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु के एक ब्यान के माध्यम से यह जानकारी दी गयी कि बाबा की जगह

मनोहर लाल उर्फ बबलू पंडित को इंटक का अध्यक्ष बना दिया गया है। यह भी कहा गया कि पंडित को इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन्दरयाल ने प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है।

सुक्खु के इस दावे को बाबा ने अपनी पूरी टीम के साथ एक पत्रकार वार्ता में चुनौती दी है। बाबा ने स्पष्ट किया कि इंटक एक स्वतन्त्र मजदूर संगठन है और विचार के आधार पर कांग्रेस का समर्थन करता है तथा अपने को इसकी मजदुर ईकाई मानता है लेकिन इंटक का अपना एक अलग संविधान है और उसी से इंटक की हर गतिविधि संचालित होती है। इस संविधान के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश को इंटक में दखल देने को कोई अधिकार नही है। प्रदेश अध्यक्ष को इंटक में अध्यक्ष मनोनीत करने का अधिकार नही है

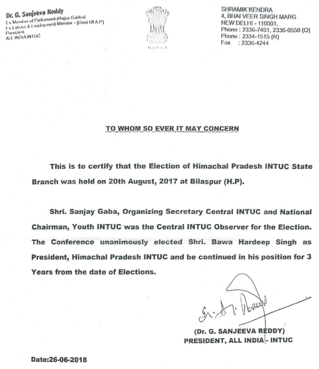

Dr. G. Sanjeeva Reddy
Ex-Member of Parliament (Rajya Sabha)
Ex-Labour & Employment Minister - (Govt Of A.P)
President
ALL INDIA INTUC

SHRAMIK KENDRA
4, BHAI VEER SINGH MARG
NEW DELHI - 110001.
Phone : 2336-7401, 2336-0550 (O)
Phone : 2334-1515 (R)
Fax : 2336-4244

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the Election of Himachal Pradesh INTUC State Branch was held on 20th August, 2017 at Bilaspur (H.P).

Shri. Sanjay Gaba, Organizing Secretary Central INTUC and National Chairman, Youth INTUC was the Central INTUC Observer for the Election. The Conference unanimously elected Shri. Bawa Hardeep Singh as President, Himachal Pradesh INTUC and be continued in his position for 3 Years from the date of Elections.

(Dr. G. SANJEEVA REDDY)
PRESIDENT, ALL INDIA - INTUC

Date:26-06-2018

क्योंकि इसके संविधान के मुताबिक इसका हर स्तर का अध्यक्ष चयनित होता है इसमें मनोनयन को कोई प्रावधान नही है। बाबा ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रेड्डी का जुलाई 2018 का वह पत्र भी मीडिया को जारी किया जिसमें बाबा को अगस्त 2017 से तीन वर्ष के लिये इंटक का अध्यक्ष घोषित किया गया है। जुलाई 2018 में जारी हुए इस पत्र से यह स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि बाबा ही इंटक के अध्यक्ष हैं बाबा के इस दावे को तभी खारिज किया जा सकता है यदि इस पत्र को ही अप्रमाणिक करार दे दिया जाये। दूसरा यदि यह प्रमाणित हो जाये कि डा. रेड्डी इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नही हैं। तीसरा यदि यह सामने आ जाये कि रेड्डी को किसी अदालत द्वारा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया हो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका अनुमोदन किया हो। बाबा ने मीडिया के सामने पूरे साक्ष्य रखते हुए यह प्रमाणित कर दिया कि डा. संजीवा रेड्डी ही इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहूल गांधी ने रेड्डी को ही मान्य करार दिया है। बाबा ने सुक्खु को सात दिन के भीतर यह प्रमाणित करने को कहा है कि सुन्दरयाल को किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और वह किस मजदूर संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बबलू पंडित को लेकर भी बाबा ने सुक्खु से पूछा है कि वह किस मज़दूर संगठन से ताल्लुक रखते हैं।

बाबा ने बडे जोरदार तरीके से मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है और दावा किया कि प्रदेश में इंटक के साथ 118 मज़दूर संगठन जुड़े हुऐ हैं और 26 और संगठनों की संवद्धता की प्रक्रिया चल रही है। इंटक प्रदेश में मज़दूरों/कामगारों/श्रमिकों का एक अग्रणी संगठन है। पिछले विधानसभा चुनावों में इंटक को एक भी चुनाव टिकट न मिलने के कारण इसको कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग के साथ चुनावों में सक्रिय सहयोग नही दिया है। कांग्रेस की हार का यह भी एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और पार्टी में पुराने सभी नाराज़ लोगों को वापिस लाने के प्रयास किये जा रहे है। कांग्रेस को हर कार्यकर्ता की सक्रिय एकजुटता की आवश्यकता है। ऐसे में एक अग्रणी ईकाई के साथ इस तरह के विवाद का उठाया जाना पार्टी की सेहत के लिये नुकसानदेह हो सकता है। यह सही है कि बाबा को पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह का एक कट्टर समर्थक माना जाता है और सुक्खु तथा वीरभद्र में द्वन्द चल रहा है लेकिन क्या इस द्वन्द में पार्टी की ईकाईयों के कार्यकर्ताओं को भी इसका शिकार बना दिया जाना चाहिये। इस संद्धर्भ में सुक्खु के नक्ष को कमजोर माना जा रहा है अब देखना यह है कि एक सप्ताह के भीतर सुक्खु क्या जवाब देते हैं और बाबा वास्तव में ही उनके खिलाफ मानहानि का दावा दायर करते हैं या नहीं।